फर्द अहकाम

अज अदालत –जिला कलक्टर,–मुकाम –भरतपुर

आर.टी.आई ऐक्टविस्ट **बनाम** तहसीलदार भरतपुर

किस्म मुकदमा–अपील आर.टी.आई. नम्बर 16 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
01.05.25	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक अपील आर.टी. आई. एक्टविस्ट (बिना नाम) के निवासी 819, वार्ड नं0 3, सुभाष नगर भरतपुर की अपील ऑनलाईन अपील संख्या 060167740658214 से लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा 4 प्रश्नात्मक बिन्दुओं की सूचना चाही गई है। आर.टी.आई. एक्ट 2005 के तहत प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित प्रश्नात्मक बिन्दुओं के संदर्भ में अपीलार्थी को सूचित हो कि:– **" राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) क्रमांक/प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 बिन्दुसं0 3 में स्पष्ट उल्लेख है कि कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड की नकल देने का आर.टी.आई. में प्रावधान है। सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है से सम्बन्धित सूचना ही उपलब्ध कराई जा सकती है। "** अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में **प्रार्थी द्वारा अपना नाम भी अंकित नहीं किया गया है।** नाम अंकित नहीं किये जाने के सन्दर्भ में प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, राज0 जयपुर के पत्रांक प.22(16)प्रसु/सूअप्र/2010 दिनांक 16.12.2011 में स्पष्ट अंकित है कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है ....?" "........ किसी निगम, संघ, कम्पनी, संस्था, समूह या गैर सरकार संगठन आदि के किसी ऐसे कर्मचारी या अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है जो भारत का नागरिक है तो उसे सूचना दी जायेगी **बशर्ते वह अपना नाम अंकित करें।** ...." अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	